

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- (ii) जिला
- (iii) वन प्रभाग
- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति
- (vi) हरियाली का घनत्व
- (vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) 1 सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ आर एल, एफ आर एल 2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)
- (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपक्षित हों, दें।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं ?

जनपद-चित्रकूट के कर्वी शहर में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-76/35 में 0.39हे0 संरक्षित वन भूमि में भूमिगत विद्युत केबिल बिछाने हेतु

उत्तर प्रदेश

चित्रकूट

चित्रकूट वन प्रभाग चित्रकूट

0.39 हे0

संरक्षित वन भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग-76/35

0.3

नहीं।

प्रस्तावित कार्य में भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।

संरक्षित वन सीमा के अन्दर।

नहीं।

नहीं।

नहीं।

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रमाण-पत्र संलग्न है।

नहीं।

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा

- (vi) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- (vii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (viii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (ix) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- (x) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (7,8), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
12. विभाग/जिला प्रोफाइल
- (vi) जिले का भौगोलिक क्षेत्र
- (vii) जिला का वन क्षेत्र
- (viii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (ix) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- (x) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

मरजादपुर
(अवनत वन भूमि)

संलग्न है।

शीशम, आंवला, नीम, सिरस आदि।

मु0 1483000.00 मात्र का प्राक्कलन संलग्न है।

प्रमाण-पत्र संलग्न है।

संयुक्त रिपोर्ट संलग्न है।

3164.00 वर्ग कि0मी0
75211.937 हेक्टेयर
छः मामले 20.3557 हे0

नहीं।

31.446 हेक्टेयर

—

31.446 हेक्टेयर

यह प्रस्ताव जनपद के लिये हितार्थ एवं उपयोगी है, जिसकी संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 01.05.2015

स्थान : कर्वी (चित्रकूट)


(वी0के0मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट